राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयुपर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/ e-mail jdacad1960@gmail.com Phone: 0141-2706550(O)

क्रमांक : एफ 7 (4) अकाद/आकाशि/2019/1335-36 दिनांक : 18.03.2019

1. प्राचार्य,
   समस्त राजकीय महाविद्यालय,
   राजस्थान

2. समस्त प्रभारी अधिकारी (कॉलेज समूह),
   आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,
   राजस्थान, जयपुर

विषय : राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 के लिए अध्यापन हेतु समय सारणी में विषय के टॉपिक्स को सम्मिलित करते हुए योजना तैयार करने के क्रम में।

मुझे आपके साथ यह बात साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में गुणात्मक अभिवृद्धि तथा रिस्पान्स के लिए आप सभी के साथ मिलकर जो प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं उनके सकारात्मक परिणाम महाविद्यालयों में दिखाई देने लगे हैं। यह सब आप सभी के सामूहिक एवं निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिसके लिये मैं आप सभी की सराहना करता हूँ।

इसी क्रम में **महाविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में विद्यार्थियों की अपेक्षाऐं, शिक्षण कार्य में पारदर्शिता एवं गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए एक और नवाचार प्रारम्भ किया जा रहा है** जिसके तहत प्रत्येक महाविद्यालय से यह अपेक्षा है कि आपके यहाँ अध्यापन समय सारणी को निम्न बिन्दुओं के आधार पर तैयार करवाया जाना है :–

1. महाविद्यालय में तैयार की जाने वाली वार्षिक समय सारणी में **समय, शिक्षक का नाम, कक्ष संख्या एवं विषय भाग (प्रथम/द्वितीय आदि)** का उल्लेख होता है। आप इस प्रकार समय सारणी निर्माण को यथावत बनायेंगे।

2. इस वार्षिक समय सारणी में से माहवार इस प्रकार का टाईम टेबल तैयार करें जिसमें कि समय, शिक्षक का नाम, कक्ष संख्या एवं विषय भाग (प्रथम/द्वितीय आदि) के **साथ–साथ शिक्षक द्वारा प्रत्येक दिन/दिनांक को पढ़ाये जाने वाली विषय वस्तु** का भी उल्लेख हो। विद्यार्थियों की सूचनार्थ नोटिस बोर्ड, पर प्रत्येक विभाग के बाहर तथा कक्षाकक्ष के बाहर तीनों स्थानों पर इस माहवार टाईम टेबल को चस्पा/डिस्पले करवाया जाना आवश्यक है ताकि **विद्यार्थियों को इस बात की स्पष्ट जानकारी रहे कि आगामी दिनों में क्या पढ़ाया जाने वाला है** तथा विद्यार्थी भी आगामी पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को पहले से पढ़कर आ सकें। इससे विद्यार्थियों में समझ तथा उनके श्रेणी सुधार में सहायता मिलेगी।

यह प्रथम मासिक समय सारणी माह जुलाई 2019 को आधार मानते हुए तैयार करवानी है।

......2

3. बिन्दु क्रम 2 के निर्देशानुसार एक माह का **मॉडल टाईम टेबल तैयार करके आवश्यक रूप से दिनांक 10 अप्रैल, 2019 तक** आप अपने महाविद्यालय के संबंधित प्रभारी अधिकारी (आयुक्तालय से) को सूचित करते हुए, **संयुक्त निदेशक (अकादमिक) को उनकी आफिस ईमेल jdacad1960@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।** आयुक्तालय से अनुमोदन उपरांत ही महाविद्यालय में समय सारणी विद्यार्थियों एवं शिक्षक साथियों के लिये जारी करवानी है।

4. शिक्षक साथियों को निर्देशित करें कि समय सारणी अनुसार उनके सिलेबस का कितने प्रतिशत भाग पूरा करवा दिया गया है। इसकी माह के अंतिम कार्य दिवस में महाविद्यालय स्तर पर सभी से सूचना प्राप्त करें, तथा महाविद्यालय स्तर पर इसका रिकार्ड संधारित करावें।

5. माह के अंतिम सप्ताह में पढ़ाई जा चुकी विषय वस्तु के आधार पर **मासिक टैस्ट** आयोजित करवाने हेतु आयुक्तालय की ओर से प्रत्येक विषय का एक प्रश्न पत्र तैयार करवाकर महाविद्यालयों को भिजवाया जायेगा। मासिक टैस्ट का आयोजन महाविद्यालय द्वारा करवाया जाना है तथा इनमें प्रविष्ट विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन महाविद्यालय स्तर पर करवाकर उन्हें वापिस विद्यार्थियों को दिखाया जाना है। विद्यार्थियों को दिखाने के उपरान्त संबंधित शिक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को संग्रहित कर उनका रिकार्ड रखवाया जाना सुनिश्चित करें।

6. विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध महाविद्यालयों की विश्वविद्यालय क्षेत्रानुसार विद्यार्थियों के आंतरिक **मूल्यांकन की मेरिट सूची भी जारी की जायेगी।** प्रयास यह भी किया जायेगा कि विश्वविद्यालयवार अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरूस्कृत किया जायेगा।

7. आयुक्तालय स्तर पर नामित कॉलेज समूह के सभी **प्रभारी अधिकारियों से यह अपेक्षा** की जाती है कि वे संबंधित प्राचार्य से सम्पर्क कर उक्तानुसार समय सारणी तैयार करवा लें तथा समय सारणी की पालना की प्रगति को भी सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ठ शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान

क्रमांक : एफ 7 (4) अकाद/आकाशि/2019/ दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, एचआरडी/प्रशासन/निजी संस्थाऐं/रूसा/आयोजना, आकाशि, जयपुर।
5. वेब प्रभारी, आकाशि, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

18/3/19
(डॉ. आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)